

## शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना

टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 कानपुर द्वारा इटावा कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-02 (नया राजमार्ग-19) के किमी0 348.00 से 323.55 तक दायीं पटरी पर सी0एन0जी0 पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु 1.46265 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्नवत है:-

|   |                                                                                                 |                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल                                                                   | 1.46265                                                             |
| 2 | प्रभावित वन भूमि का वनस्पति घनत्व                                                               | 0.1                                                                 |
| 3 | प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास                                                                   | III                                                                 |
| 4 | प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास एवं वनस्पति घनत्व वाली भूमि का प्रति हेक्टेयर शुद्ध वर्तमान मूल्य | 9,57,780.00                                                         |
| 5 | प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य                                                         | $9,57,780.00 \times 1.46265$<br>$= 14,00,896.92$<br>or 14,00,897.00 |

शब्दों में- रुपये चौदह लाख चौदह आठ सौ सत्तानवे रू0 मात्र

उपरोक्त धनराशि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 कानपुर (उ0प्रा0) द्वारा देय होगी। भविष्य में यदि उक्त दर में बढोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी जिसके लिये आवश्यक वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक-15.07.2022

स्थान-इटावा

(अतुलकान्त शुक्ला)  
(अतुल कान्त शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी विभाग, इटावा